No.1-58/2025/24422/Legal/3245

पत्रांक सं० :

तिथि : 27/10/2025

Azadi Ka Amrit Mahotsav

सेवा में,

प्रशासक/सचिव/रजिस्ट्रार/निदेशक

महाराष्ट्र पैरामेडिकल कांउसिल

गेट नं.2 कामा रोड एलबेस

हॉस्पिटल, महापालिका मार्ग, धोबी तलाव महाराष्ट्र मुंबई

400001

प्रेषक :

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद्

मुख्य कार्यालय : 513, चतुर्थ तल, प्राईम प्लाजा, मुंशी पुलिया, इंदिरा नगर, लखनऊ - 226016

प्रशासनिक कार्यालय : द्वितीय तल, सुनील कॉम्पलेक्स, वेस्टर्न कचहरी रोड, मेरठ-250002

दूरभाष : 121-4349311 मोबाइल नं० +91-6005692505, 7078033743

वेबसाइट : www.lbspstc.com ई-मेल : lbspcup@gmail.com

No.1-58/2025/24422/LEGAL/3245
कार्यालय/ Office
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council
संगणक विभाग/ Comupter Department
वेबसाइट / www.lbspstc.com
****

Head Office: 4th Floor Prime Plaza, Indira Nagar.
Lucknow 226001

Registered Office: C-91 JJ Cluster Peeragarhi Camp.
New Delhi 110056

Administrative Office: 2nd Floor Sunil Complex W.K. Road
Meerut -250002

दिनांक / Dated: 27.10.2025

REPRESENTATION

To,

The Hon'ble Administrator / Secretary / Registrar / Director,

Maharashtra Paramedical Council,

Mumbai, Maharashtra.

Subject: Regarding issuance of registration certificates at the State level by the Maharashtra Paramedical Council in favour of the candidates who have successfully completed their training, evaluation, and certification process under the *Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council*, considering the authenticity of their academic records; and in view of the urgent requirement of verification for employment scheduled in the forthcoming month, for passing necessary and appropriate orders in the interest of such candidates.

Sir/Madam

It is respectfully submitted that the *Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council* **(hereinafter referred to as "the Council")** is an autonomous, non-governmental, and nationally recognized training body engaged in conducting skill-based training, assessment, and certification processes in the field of Health and Paramedical Education, in conformity with the *National Skills Qualification Framework (NSQF)* and the guidelines prescribed by the *National Council for Vocational Education and Training (NCVET), Government of India.*

2. That the trainees enrolled in the institutions duly approved by the Council have successfully completed the prescribed duration of their training programmes, have qualified both in theoretical and practical examinations, and have been duly issued certificates by the Council, the details of which are as follows: —

S. No.	Name of the Candidate	Application Number Submitted for Registration in Maharashtra Paramedical Council	Date of Application
1.	Kekan Akshay Rajendra	202507766	03/07/2025
2.	Lohe Shubham Swaminath	202507802	03/07/2025

3. Legal Basis

• **Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation, (1985) 3 SCC 545**

The Hon'ble Supreme Court held that *the right to life does not merely mean the right to exist, but also includes the right to live with dignity and to earn one's livelihood.* Therefore, the candidates who have successfully completed their professional training are entitled to obtain recognition and registration, which are necessary for their lawful employment and livelihood.

• **State of Tamil Nadu v. Adhiyaman Educational & Research Institute, (1995) 4 SCC 104**

The Hon'ble Supreme Court clearly observed that *when educational institutions are duly recognized and their courses are approved by a competent authority, the validity of such certification must be accepted by all other authorities.* Any refusal or undue interference in recognizing such certifications would amount to *arbitrary administrative action.*

• **Union of India v. Tulsiram Patel, (1985) 3 SCC 398**

The Hon'ble Supreme Court held that *fairness and reasonableness are the essence of every administrative process.* Therefore, the certificates and records duly issued by the Council must be accepted in good faith and with administrative propriety.

• **Maneka Gandhi v. Union of India, (1978) 1 SCC 248**

This judgment establishes that *any administrative decision which affects the rights of citizens must be fair, reasonable, and in accordance with the principles of natural justice.* Arbitrary or unjust actions cannot be sustained under the rule of law.

Therefore, on behalf of the Council,

this respectful representation is submitted with the request that the training and certification credentials of the concerned candidates be duly recognized and accepted as legally valid.

It is further submitted that the *Maharashtra Paramedical Council* may be pleased to issue the necessary registration certificates in favour of these trained candidates, as the same is essential for their employment verification scheduled in the forthcoming month. Delay in issuance of such registration may adversely affect their professional career and employment prospects.

The Council further assures that if any document, clarification, or record is required by the Maharashtra Paramedical Council for verification or authentication, the Council shall furnish the same in a lawful and timely manner.

(Dr. Akash Sharma)
Administrative Officer
LBSPSTC, New Delhi

Copy to: -

1. Consultant (IT) to get the orders upload in the website.
2. Vigilance Division, LBSPSTC
3. Director's Office, LBSPSTC
4. All Officers of LBSPSTC, Delhi.
5. Guard File.

(Dr. Akash Sharma)
Administrative Officer
LBSPSTC, New Delhi

सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical
Skill and Training Council

No.1-58/2025/24422/LEGAL/3245

कार्यालय/ Office

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली

Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council, New Delhi

संगणक विभाग/ Comupter Department

वेबसाइट / www.lbspstc.com

****

Head Office: 4th Floor Prime Plaza, Indira Nagar,
Lucknow 226001
Registered Office: C-91 JJ Cluster Peeragarhi Camp,
New Delhi 110056
Administrative Office: 2nd Floor Sunil Complex W.K. Road
Meerut -250002

दिनांक / **Dated:** 27.10.2025

प्रत्यावेदन

सेवा में,

माननीय प्रशासक / सचिव / रजिस्ट्रार / निदेशक,
महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल,
मुंबई, महाराष्ट्र ।

विषयः लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के विधिवत शैक्षणिक अभिलेखों, मूल्यांकन एवं प्रमाणन प्रक्रिया की प्रामाणिकता को ध्यान में रखते हुए, उनके हित में महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा राज्य स्तर पर पंजीकरण प्रमाण–पत्र निर्गत किए जाने, तथा आगामी माह में नियोजन हेतु सत्यापन की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत, आवश्यक आदेश पारित करने के संबंध में।

महोदय

निवेदन यह है कि लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद (जिसे आगे "परिषद" कहा गया है) एक स्वशासी, गैर–सरकारी एवं राष्ट्रीय स्तर की मान्यता–प्राप्त प्रशिक्षण परिषद है, जो स्वास्थ्य एवं पराचिकित्सीय शिक्षा–क्षेत्र में कौशल–आधारित प्रशिक्षण, मूल्यांकन तथा प्रमाणन की प्रक्रिया को **राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा** एवं राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप संचालित करती है

2. यह कि परिषद द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अभ्यर्थियों ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम की संपूर्ण अवधि पूर्ण कर, सिद्धांत एवं प्रयोगात्मक मूल्यांकन में सफलता प्राप्त की है तथा परिषद द्वारा उन्हें विधिवत प्रमाण–पत्र निर्गत किए जा चुके हैं जिनका विवरण निम्नवत है:–

क्र० सं०	छात्र का नाम	महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण हेतु किया गया किया गया आवेदन संख्या	आवेदन तिथि
1.	केकान अक्षय राजेंद्र	202507766	03/07/2025
2.	लोढ़े शुभम स्वामीनाथ	202507802	03/07/2025

उपरोक्त अभ्यर्थियों का अगले माह विभिन्न अस्पतालों एवं स्वास्थ्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु सत्यापन निर्धारित है, जिसके लिए राज्य–स्तरीय पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3. <u>**विधिक आधार**</u>

- **Olga Tellis v/s Bombay Municipal Corporation, (1985) 3 SCC 545**-माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि "जीवन का अधिकार केवल अस्तित्व का अधिकार नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक जीवनयापन हेतु साधन प्राप्त करने का अधिकार भी है।" अतः अभ्यर्थियों को अपने प्रशिक्षण के अनुरूप व्यवसाय करने एवं नियोजन प्राप्त करने का अवसर मिलना उनका संवैधानिक अधिकार है।

- **State of Tamil Nadu v- Adhiyaman Educational & Research Institute| (1995) 4 SCC 104**
  सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विधिवत् प्राप्त मान्यता और मूल्यांकन के पश्चात् राज्य प्राधिकरणों को ऐसे प्रमाण–पत्रों की वैधता को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा यह अत्यधिक हस्तक्षेप (Arbitrary Interference) की श्रेणी में आएगा।

- **Union of India v- Tulsiram Patel (1985) 3 SCC 398**
  न्यायालय ने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रिया में निष्पक्षता और तर्कसंगतता शासन की मूल आत्मा है, इसलिए परिषद द्वारा प्रदत्त वैध प्रमाण–पत्रों को प्रशासनिक दृष्टि से स्वीकार किया जाना अनिवार्य है।

❖ **Maneka Gandhi v- Union of India, (1978) 1 SCC 248**

यह निर्णय यह स्थापित करता है कि प्रशासनिक निर्णय जो नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं, वे न्यायोचित, तर्कसंगत और उचित प्रक्रिया द्वारा ही किए जा सकते हैं।

अतः, परिषद की ओर से यह निवेदन सविनय प्रस्तुत किया जाता है कि अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण एवं प्रमाणन अभिलेखों की विधिक प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए, **महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा** शीघ्रातिशीघ्र पंजीकरण प्रमाण–पत्र निर्गत किए जाएँ, जिससे अभ्यर्थियों को नियोजन के अवसर प्राप्त हो सकें और उनके करियर पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। परिषद इस हेतु यह भी निवेदन करती है कि यदि काउंसिल को सत्यापन या पुष्टिकरण हेतु कोई अभिलेख अपेक्षित हों, तो परिषद उन्हें विधिवत रूप से उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है।

(डॉ० आकाश शर्मा)
प्रशासनिक अधिकारी
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल
एवं प्रशिक्षण परिषद

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. "परामर्शदाता (सूचना प्रौद्योगिकी) को आदेशों को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु निर्देशित किया जाए।"
2. सतर्कता प्रभाग, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
3. गार्ड फाइल

(डॉ० आकाश शर्मा)
प्रशासनिक अधिकारी
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल
एवं प्रशिक्षण परिषद

सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical
Skill and Training Council